

पर्यटन मंत्रालय  
मांग संख्या 98  
पर्यटन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1399.20	...	1399.20	2499.83	...	2499.83	1266.25	...	1266.25	2032.04	...	2032.04
<b>वसूलियां</b>	-35.78	...	-35.78	...	...	...	-6.25	...	-6.25	-5.27	...	-5.27
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	1363.42	...	1363.42	2499.83	...	2499.83	1260.00	...	1260.00	2026.77	...	2026.77
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	7.84	...	7.84	8.50	...	8.50	7.31	...	7.31	8.75	...	8.75
2. पर्यटन महानिदेशक	103.93	...	103.93	116.12	...	116.12	105.40	...	105.40	117.35	...	117.35
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>111.77</b>	...	<b>111.77</b>	<b>124.62</b>	...	<b>124.62</b>	<b>112.71</b>	...	<b>112.71</b>	<b>126.10</b>	...	<b>126.10</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>पर्यटन अवसंरचना</b>												
3. विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	565.93	...	565.93	1200.00	...	1200.00	600.00	...	600.00	630.00	...	630.00
4. आइकानिक पर्यटन स्थल का विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
5. तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक, विरासत वृद्धि संवर्धन अभियान (प्रसाद)	144.71	...	144.71	207.55	...	207.55	125.00	...	125.00	153.00	...	153.00
6. <b>केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता</b>												
6.01 चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम	...	...	...	123.00	...	123.00	63.32	...	63.32	190.00	...	190.00
6.02 केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	71.94	...	71.94	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	90.00	...	90.00
6.03 राजस्व उत्पादन करने वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए अर्थक्षमता अंतराम स्कीम (पूर्ववर्ती अधिकाधिक राजस्व उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता)	...	...	...	30.00	...	30.00	...	...	...	...	...	...
6.04 गंतव्य एवं परिपथों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	-35.78	...	-35.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>-35.78</b>	...	<b>-35.78</b>	<b>5.00</b>	...	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	...	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	...	<b>5.00</b>
6.05 बाजार अनुसंधान	3.61	...	3.61	9.66	...	9.66	6.39	...	6.39	20.00	...	20.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>जोड़- केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता</i>	39.77	...	39.77	247.66	...	247.66	154.71	...	154.71	305.00	...	305.00
<b>जोड़-पर्यटन अवसंरचना</b>	<b>750.41</b>	...	<b>750.41</b>	<b>1655.21</b>	...	<b>1655.21</b>	<b>879.71</b>	...	<b>879.71</b>	<b>1088.03</b>	...	<b>1088.03</b>
<b>संवर्धन एवं प्रचार</b>												
7. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार	312.05	...	312.05	450.00	...	450.00	115.00	...	115.00	524.02	...	524.02
8. बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार	99.63	...	99.63	140.00	...	140.00	63.33	...	63.33	144.70	...	144.70
<b>जोड़-संवर्धन एवं प्रचार</b>	<b>411.68</b>	...	<b>411.68</b>	<b>590.00</b>	...	<b>590.00</b>	<b>178.33</b>	...	<b>178.33</b>	<b>668.72</b>	...	<b>668.72</b>
<b>प्रशिक्षण एवं कौशल विकास</b>												
9. आई.एच.एम्./ एफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम्./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता	56.81	...	56.81	70.00	...	70.00	50.00	...	50.00	75.00	...	75.00
10. सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण	32.75	...	32.75	60.00	...	60.00	33.00	...	33.00	63.65	...	63.65
<b>जोड़-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास</b>	<b>89.56</b>	...	<b>89.56</b>	<b>130.00</b>	...	<b>130.00</b>	<b>83.00</b>	...	<b>83.00</b>	<b>138.65</b>	...	<b>138.65</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>1251.65</b>	...	<b>1251.65</b>	<b>2375.21</b>	...	<b>2375.21</b>	<b>1141.04</b>	...	<b>1141.04</b>	<b>1895.40</b>	...	<b>1895.40</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
11. महिलाओं के लिए संरक्षित पर्यटन स्थल												
11.01 निर्भया निधि में अंतरण	...	...	...	...	...	...	6.25	...	6.25	5.27	...	5.27
11.02 कार्यक्रम घटक	...	...	...	...	...	...	6.25	...	6.25	5.27	...	5.27
11.03 निर्भया निधि से राशि को पूरा करना	...	...	...	...	...	...	-6.25	...	-6.25	-5.27	...	-5.27
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	6.25	...	6.25	5.27	...	5.27
<b>कुल जोड़</b>	<b>1363.42</b>	...	<b>1363.42</b>	<b>2499.83</b>	...	<b>2499.83</b>	<b>1260.00</b>	...	<b>1260.00</b>	<b>2026.77</b>	...	<b>2026.77</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. विविध सामान्य सेवाएं	0.61	...	0.61	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>0.61</b>	...	<b>0.61</b>	<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	...	...	...	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	7.84	...	7.84	8.50	...	8.50	7.31	...	7.31	8.75	...	8.75
4. पर्यटन	1354.97	...	1354.97	2251.82	...	2251.82	1137.18	...	1137.18	1827.51	...	1827.51
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1362.81</b>	...	<b>1362.81</b>	<b>2260.32</b>	...	<b>2260.32</b>	<b>1144.49</b>	...	<b>1144.49</b>	<b>1836.26</b>	...	<b>1836.26</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	239.00	...	239.00	115.00	...	115.00	190.00	...	190.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	<b>239.00</b>	...	<b>239.00</b>	<b>115.00</b>	...	<b>115.00</b>	<b>190.00</b>	...	<b>190.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1363.42</b>	...	<b>1363.42</b>	<b>2499.83</b>	...	<b>2499.83</b>	<b>1260.00</b>	...	<b>1260.00</b>	<b>2026.77</b>	...	<b>2026.77</b>

- सचिवालय:** पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान प्रावधान है।
  - पर्यटन महानिदेशक:** पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय स्थापना तथा इसके अधीन क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों पर व्यय के लिए प्रावधान है। पर्यटक सूचना का प्रसार पर्यटन अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होटल, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों, आदि जैसे यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों का विनियमन उनके मुख्य कार्य हैं। इसमें बेहतर पर्यटक सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।
  - विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन):** स्वदेश दर्शन : इस योजना का उद्देश्य उच्च पर्यटक मूल्य के सिद्धांत पर पर्यटक की थीम आधार पर विकास करना, पर्यटन अनुभव को बढ़ाने और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकता और धारणा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक जुट प्रयास से एकीकृत रूप में प्रतिस्पर्धता और संवहनीयता वर्तमान में देश में स्वदेश दर्शन स्कीम के परिपंथ आधारित 15 थीम है।
  - आइकानिक पर्यटन स्थल का विकास:** बुनियादी सुविधाओं और कौशल विकास, प्रौद्योगिकी के उपयोग, निजी निवेश, ब्रांडिंग और विपणन को आकर्षित करने वाले समग्र दृष्टिकोण से देश में प्रतिष्ठित उन्नीस स्थलों के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना "प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों / गंतव्यों का विकास" तैयार किया गया है।
  - तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक, विरासत वृद्धि संवर्धन अभियान (प्रसाद):** इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों के धार्मिक, आध्यात्मिक और विरासत अनुभवों को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और सभी स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं और सरोकारों पर ध्यान देते हुए प्रयासों में तालमेल कायम करके एकीकृत तरीके से अधिक पर्यटक यात्राओं, प्रतिस्पर्धा एवं सततता के सिद्धांतों पर तीर्थ तथा विरासत पर्यटक गंतव्यों की पहचान करना और उनका विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत 25 राज्यों में कुल 41 स्थलों की पहचान की गई है।
- 6.01. केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता:** चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने के लिए और पर्यटकों को घरेलू और विदेशी दोनों के लिए अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है।
  - 6.02. केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता:** पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसमुदाय सृजित कर सकता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के द्वारा सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र विकास संभव नहीं होगा क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईटीडीसी, आदि जैसे केन्द्रीय अभिकरणों के अधिकार क्षेत्र/ नियंत्रण में हैं, और उनके नियंत्रणाधीन पर्यटक रूचि के स्थलों का समग्र विकास उनके स्वयं के संसाधनों से संभव नहीं होगा तथा संसाधनों, विशेषज्ञता के आभेदन तथा विकास के पश्चात् तथा अनुरक्षण और प्रबंधन के अनुभव की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने तथा केन्द्रीय अभिकरणों की सक्रिय

भागीदारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ केन्द्रीय अभिकरणों के स्वामित्ववाले पर्यटक रूचि की क्षमतावान परिसम्पत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे पर्यटक वाले स्थलों को केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा संबर्धित करने का प्रस्ताव है।

**6.03. राजस्व उत्पादन करने वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए अर्थक्षमता अंतराम स्कीम (पूर्ववर्ती अधिकाधिक राजस्व उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता):** यह स्वीकार किया जाता है कि पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है जो केवल भारत सरकार के वजतीय संसाधनों से संभव नहीं होगा। इन कमियों को दूर करने के लिए तथा निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट तथा संस्थागत संसाधनों के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय प्रबंधकीय कुशलता लाने के लिए पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए वृहद राजस्व सृजन परियोजनाओं को संबर्धित करने का प्रस्ताव है।

**6.04. केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता:** इस योजना का ध्यान वर्तमान उत्पादों में सुधार तथा नए पर्यटन उत्पादों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार विकसित करना है। पर्यटक स्थलों के एकीकृत अवसंरचना विकास पर भी इसका ध्यान होगा। इसका उद्देश्य स्थल तथा परिपथों में पर्यटकों द्वारा आवश्यक सभी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है।इसका उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वित कार्रवाई के द्वारा संसाधनों के एकजुट करना और उसमें विशेषज्ञता हासिल करना का तालमेल है। पर्यटक स्थल तथा परिपथों की उनके द्वारा पहचान को जाती है तथा विकास के लिए लिया जाता है। इसमें इसके कार्यान्वयन के लिए मास्टर योजना तैयार करने तक के कार्यक्रम शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत ली गई परियोजनाएं एकीकृत, प्रोजेक्ट्रेड क्षेत्र विकास संकल्पना का अनुपालन करती है। प्रत्येक परियोजना के लिए हितधारियों के साथ परामर्श के पश्चात् संघराज्य क्षेत्रों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती हैं।

**6.05. केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता:** पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के संबंध में विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों का आयोजन करता है ताकि निर्णय लेने और नियोजन के लिए योजना तैयार की जा सके और विभिन्न योजनाओं और स्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार की जा सकें।

**7. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक रूप से सर्वाधिक पसंदीदा स्थल के रूप में स्थापित करना है इस योजना के अंतर्गत जोरदार प्रचार और मार्किटिंग अभियान चलाए जाते हैं। मंत्रालय इंफ्लुइवेंस इंडिया ब्रांड की मार्किटिंग के लिए दोहरे लाभ की नीति पर कार्य कर रहा है। स्पेन, चीन, फ्रांस आदि जैसे कुछ बाजारों में अधिक व्यापक और लक्षित पहुंच के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियां स्थानीय भाषाओं में चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त, नए बाजारों में मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

**8. बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार:** इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों के संवर्धन के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए गए। पर्यटक स्थल के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर के संवर्धन के लिए भी अभियान चलाए गए।

**9. आई.एच.एम्./ एंफ.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम्./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता:** देश में पर्यटन क्षेत्र गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की भारी कमी का सामना कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

विद्यमान आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीएम/ एमसीएचएमसीटी/ एनआईडब्ल्यूएस के विस्तार तथा उन्नयन के लिए तथा नए संस्थानों जैसे कि होटल प्रबंध संस्थानों (आईएचएम) तथा भोजन कला संस्थानों (एफसीआई) की स्थापना के लिए भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां उक्त उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं।

10. **सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण:** सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने एक प्रमुख कार्यक्रम रखा है, जिसका शीर्षक हुनर से रोजगार तक है, जो न्यूनतम 8 वीं पास और 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है, साथ ही समाज में गरीबों तक रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। उन्हें आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाताओं के कौशल को समेकित करने के लिए एक कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। युवाओं में क्षमता विकसित करने और सूक्ष्म और लघु व्यवसाय स्टार्ट-अप आरम्भ करने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम को शुरू किया।

11. **महिलाओं के लिए संरक्षित पर्यटन स्थल:** महिलाओं के लिए संरक्षित पर्यटन स्थल एक ऐसी स्कीम है, जिसमें पर्यटन स्थल के आसपास और आसपास के इलाकों में महिलाएं बिना किसी डर और उत्पीड़न के सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी।